

कार्यालय तहसीलदार भोंगरोल..... जिला कारी (राजस्थान)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/आदिम जाति के उम्मीदवारों द्वारा
अपने दावे केन्द्रों में प्रस्तुत किये जाने वाला

जाति प्रमाण-पत्र

क्रमांक 7890

दिनांक 22-12-18

प्रार्थी / प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना- पत्र, शपथ-पत्र, एवं हल्का
पटवारी लिखाभा..... की अनुशंसा पर प्रमाणित किया जाता है कि
श्री/सुश्री/श्रीमती गजेन्द्र कुमार वर्मा.....
पुत्र/पुत्री/पति श्री गोबिंद लाल खेरवा..... निवासी पटपड़ा.....
तहसील भोंगरोल..... जिला कारी..... डिवीजन कोटा.....
राज्य राजस्थान जाति खेरवा (S.C.)..... समुदाय के सदस्य हैं
जो कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति /आदिम जाति (सूची) संशोधन
अधिनियम 1956, संविधान जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश 1956,
संविधान अण्डमान व निकोबार अनुसूचित जाति आदेश 1956 के अन्तर्गत एक
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/आदिम जाति मानी जा चुकी है,
श्री/सुश्री/श्रीमती गजेन्द्र कुमार वर्मा..... और या उसका कुटुम्ब
राजस्थान राज्य के जिला कारी..... में तहसील भोंगरोल..... के
साधारणतः ग्राम/शहर पटपड़ा..... के निवासी हैं।



[Signature]
तहसीलदार
भोंगरोल जिला कारी

हस्ताक्षर
(कार्यालय की मोहर सहित)
राज्य संघ राज्य क्षेत्र

नोट : यहाँ प्रयोग किये साधारणतः निवासी का अर्थ यही होगा जो कि रिजिस्ट्रेशन आफ
दी पीपुल्स एक्ट 1950 की धारा 20 में है।